रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1997/श्रावण 6, 1919
No. 426] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1997/SRAVANA 6, 1919

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का. आ. 535(अ).—केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मै. ऑयल एंड नैचुरल गैस कमिशन, मेटीरियल एक्वीसिषन (आयात) व प्लेनिंग सेक्शन, न्यु कॉरपोरेट बिल्डिंग, चौथी मंजिल, नार्थ ब्लाक, तेल भवन, देहरादून को मैसर्स आल्न ऑयल टूल्स इन्क. 8900, फोरम वे फोर्टवर्थ, टेक्साज़-76140, अमरीका से कलकत्ता हवाई अड्डे पर निम्नलिखित विस्फोटकों के आयात के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31(2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्रवर्त्तन से छूट देती है :—

क्रम सं.	विस्फोटक का नाम	क्लास	नेट वेट (किलोग्राम में)	यू एन (सं.)	मात्रा (सं.)
1	2	3	4	5	6
1.	चार्जेस शेप्ड कमर्शियल	1.4 एस	200	0441	5700
2.	कॉर्ड डेटोनेटिंग	1.4 डी	75	0289	1500
3.	डेटोनेर्टस इलेक्ट्रिक	1.4 एस	300	0456	315
4.	कॉमपोनेन्टस एक्सप्लोसिवस ट्रेन नॉट अदरवाइस स्पेसिफाइड	1.4 एस	100	0384	30

उपरोक्त विस्फोटकों का आयात निम्नलिखित शर्तों पर होगा,—

1. नागरिक विमानन महानिदेशालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए और उपर्युक्त दो प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, का सख्ती से पालन किया जायेगा ;

2. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ खतरनाक सामग्री विनियमन, 1996 की धारा 3 में दिये गये वर्गीकरण के खण्ड 1.4 के अनुरूप विस्फोटक ही आयात किये जायें ;

3. नियम 31 के उप नियम (2) के सिवाय, उक्त नियम, यथा अंतर्विष्ट विस्फोटकों का कब्जा, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा ;

4. उक्त नियम के अधीन अनुज्ञप्त पर्याप्त संख्या में विस्फोटक वैन विमानपत्तन पर तैयार रखे जायेंगे जिससे कि विस्फोटकों को वायुमान से उसके उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके ;

5. वायुयान को विमानपत्तन पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्फोटकों का वायुयान से वैनों में अंतरण आरम्भ करने से पहले महनिदेशक, नागरिक विमानन के परामर्श से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबन्ध कर वायुयान और विस्फोटक वैन के चारों और कम से कम 500 स्कयेर मीटर क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। इंतजाम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतरण पूरा नहीं कर लिया जाता है और सम्यक रूप से बंद वैन स्थल नहीं छोड़ देती है ;

6. घेराबंद क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान और खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी ; और

7. उपर्युक्त विस्फोटकों को ले जा रही वैन उक्त नियम के अधीन अनुज्ञात भण्डारकरण मैगजीन की ओर अग्रसर होगी और रास्ते में कोई अनुचित विलंब नहीं किया जाएगा और विस्फोटक के परिवहन के दौरान उक्त नियमों और स्थानीय ट्रैफिक नियमों एवं म्युनिसिपल विनियमों का पालन किया जाएगा ।

[फा. सं. 2(1)/97-विस्फोटक]

पुष्पेन्द्र राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 535(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M/s. Oil and Natural Gas Commission, Material Acquisition (Import) and Planning Section, New Corporate Building, 4th Floor, North Block, Tel Bhawan, Dehradun from the observance of sub-rule (2) of rule 31 of the Explosives Rules, 1983, (hereihafter, in this notification, referred to as the said rules) for import of the following expolsives from M/s. Owen Oil Tools Inc. 8900, Forum way Fortworth Texas-76140, United States of America at Calcutta Airport :

Serial Number	Name of the expolsive	Class	Net weight (in Kilograms)	UN No.	Quantity
1	2	3	4	5	6
1.	Charges shaped commercial	1.4S	200	0441	5700 Nos.
2.	Cord Detonating	1.4D	75	0289	1500 Nos.
3.	Detonators Electric	J.4S	300	0456	315 Nos.
4.	Components Explosives Train not otherwise specified	1.4S	100	0384	30 Nos.

The above mentioned explosives shall be imported subject to the following conditions,—

(1) necessary clearance are obtained from the Director General Civil Aviation and International Airport Authority of India and conditions, if any, imposed by these two authorities shall be strictly complied with ;

(2) the explosives conforming only to Division 1.4 of the classification given in section 3 of the International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, 1996, shall be imported ;

(3) the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the said rules, except sub-rule (2) of rule 31, shall be strictly complied with ;

(4) adequate number of explosives vans licensed under the said rules shall be kept ready at the airport so that the explosives may be removed expeditiously from the aircraft after its landing ;

(5) the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of atleast five hundred square metres around the aircraft and explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van is started. The arrangement shall continue till the transfer is completed and the van duly locked leaves the site ;

(6) no smoking or use of naked light shall be permitted within the cordoned area; and

(7) the vans carrying the explosives shall proceed to the storage magazines licensed under the said rules and no undue delay shall be made on the way and all provisions of the said rules and local traffic rules and municipal regulations shall be complied with during the transportation of the explosives.

[F. No. 2(1)/97-EXPL.]

PUSHPENDRA RAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997